

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 18.12.2025

कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से नौकरी दिलाने का नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा लेने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट के नेतृत्व में उ0नि0 रंजीत रंजन मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 563/2025 धारा 319(2),318(4), 336(3),338,340(2),316(2),351(3) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त अमित कुमार राव पुत्र स्व0 रामदेव निवासी ग्राम अतरौली पोस्ट बगराई थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा तहरीर दिया गया कि अभियुक्त द्वारा रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा लिया गया तथा कूटरचित अवैध नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी की गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमित कुमार राव पुत्र स्व0 रामदेव निवासी ग्राम अतरौली पोस्ट बगराई थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 563/2025 धारा 319(2),318(4),336(3),338,340(2),316(2),351(3) बीएनएस थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 रंजीत रंजन थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. का0 प्रेम कुमार उपाध्याय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. म0का0 वैशाली शर्मा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. म0का0 सीमा यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर